

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : नावां सिटी,
होमानराम शं. देवाराम जाट

नागौर
गुलाबदेवी 14/0 सेवाराम जाट

सां इ-दौजा
किस्त मुकदमा 251A प्रापत्र

बनाम :
मु. नम्बर 07

सन 2018

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुकम
की तारीख में जारी हुए

प्रार्थीगण की और से वकील श्री बजरंगलाल ने यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251A के तहत पेश किया है जो दर्ज रजिस्ट्र किया जाता है। अ. अ. निरीक्षक मारोठ को मौका कमीशन नियुक्त किया जाकर रिपोर्ट मंगवायी जावे। अप्रार्थीगण को जरूर ~~अपेक्षा~~ तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 29-1-18 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (नागौर)

4-1-2018
1407/2018

29/1/18

पत्रावली पेश बार एंजलियेशन में
कन्वोलेंस कर कार्य स्थगन
का निवेदन किया/ पत्रावली इलाका
होकर दिनांक 6/2/18 को पेश हो।

6/2/18 वकील प्रार्थी उपर अप्रार्थीगण ने राजीनामा पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर माफिक राजीनामा प्रार्थना-पत्र का निर्णय किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251A के तहत पेश कर ग्राम इ-दौजा में अपनी खातेदारी सुदा भूमि ख. नं. 91, 92, 89 में आवागन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से मांग करते हुए गै. मु. करणी रास्ता दीर्घ किये जाने की इस्तदुआ की है। जिसके अप्रार्थीगण ने स्वीकार कर लिया है। जिससे पत्रावली में अन्तु रास्ते का अब कोई विवाद शेष नहीं रह गया है। जिससे इस प्रकार में मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने की आवश्यकता नहीं है। दोनों पक्ष सहमत हैं।

अप्रार्थीगण ने राजीनामा पेश कर निवेदन किया है कि अदालत से बाहर हम पत्रावली में सहमति देने से हम अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ते

में गई भूमि के बदले हम कोई मुझावजा लेना नहीं लेना चाहते हैं हम हमारी सहमति से पार्थीशण को उनकी ज़ातेदारी में ज़ाने हेतु पूर्ण सहमत हैं। माफिक राजीनामा पार्थना-पत्र स्वीकार किया जावे।

अतः पार्थीशण का पार्थना-पत्र माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम इ-दौजा के ख.न. 99 रकबा 4.25 हे० में दक्षिणी मांठ के पास-पास 4.60 मीटर चौड़ाई में व 38 मीटर लम्बाई में ज़ातेदारी से कम कर जे.मु. कयानी रास्ता पार्थीशण की ज़ातेदारी ख.न. 91, 92, 89 में ज़ाने ज़ाने हेतु घोषित किया जाता है। तदनुसार रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। रास्ते में गई भूमि के बदले अपार्थीशण को कोई शशि द्य नहीं है। माफिक आदेशानुसार रास्ता दर्ज कले हेतु तहरीट तहसीलदार को तहरीट जारी है। पत्रावली ज़ेसल शुभाट होकर दाखिल दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां